हरियाणा सरकार

चकबन्दी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 1998

संख्या सा० का० नि० 63/संवि०/अनु०/309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा चकबन्दी विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1989, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा चकबन्दी विभाग (ग्रुप ख) सेवा————(संशोधन) नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा चकबन्दी विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1989 (जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

(क) चकबन्दी अधिकारी की दशा में,—

(i) 80 प्रतिशत चकबन्दी विभाग में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 20 प्रतिशत राजस्व विभाग में कार्यरत नायब तहसीलदारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) अधीक्षक की दशा में, —

(i) उप अधीक्षक अथवा सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

परन्तु स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति केवल तभी की जाएगी जब पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने की प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"2	अधीक्षक	—	1	1	2,000-60-2,300-द० रो० -75-3,200-100-3,500 रुपये।"।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 1 और उसके सामने की प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"2	अधीक्षक	—	उप अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव, या सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव।"।

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट ग में, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने की प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1.	2.
"2	अधीक्षक।"।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1.	2.
"2	अधीक्षक।"।

के० जी० वर्मा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
चकबन्दी विभाग।

[Authorised English Translation]

Supdt

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 1998

No. GSR 63/Const. Art.309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules futher to amend the Haryana Consolidation of Holdings Department (Group-B) Service Rules, 1989, Namely:—

1. These rules may be called the Haryana Consolidation of Holdings Department (Group-B) Service (Amendment) Rules, 1998.

2. In the Haryana Consolidation of Holdings Department (Group-B) Service Rules, 1989 (hereinafter called the said rules), in rule 9, for sub-rule (1), the following sub rule shall be substituted, Namely:—

"(1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Consolidation Officer,—

(i) 80% by promotion from amongst Assistant Consolidation Officer working in the Consolidation Department; and

(ii) 20% by promotion from amongst Naib-Tehsildars, working in the Revenue Department; or

(iii) by transfer or deputation of an office: already in the service of any State Government or the Government of India:

(b) in the case of Superintendent,—

(i) by promotion from amongst the Deputy, Superintendent or Assistants; or

(ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that appointment by transfer or deputation shall be made only when no such person is available for appointment by promotion.

3. In the said rules, in Appendix A, after serial number 1 and entries there-against, the following serial number and entries there-against shall be added, namely:—

1	2	3	4	5	6
"2.	Superintendent	..	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—EB —75—3,200—100—3,500".

4. In the said rules, in Appendix B, after serial number 1 and entries there against, the following serial number and entries there-against shall be added, namely:—

1	2	3	4
"2.	Superintendent	..	One year's experience as Deputy Superintendent or Ten year's experience as Assistant."

5. In the said rules, in Appendix, C, after serial number 1 and entries there against, the following serial number and entry there-against shall be added, namely:—

1	2	3	4	5	6
"(2)	Superintendent				

6. In the said rules, in Appendix D, after serial number 1 and entries there against, the following serial number and entry there against shall be added, namely:—

1	2	3	4	5
"2.	Superintendent			

K. G. VARMA,

Secretary to Government Haryana,
Consolidation Department.

ACO

हरियाणा सरकार

चकबन्दी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 जून, 1991

सं० स० क० नि० 40/संवि०/अनु० 309/91.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा राज्य चकबन्दी सेवाएं (ग्रुप "ग") में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग—I सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा राज्य चकबन्दी सेवाएं (ग्रुप ग) नियम, 1991 कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "बोर्ड" बोर्ड से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल हरियाणा,

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, चकबन्दी विभाग, हरियाणा,

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है :—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था अथवा

(ii) सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है:—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय;

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब सिंध या ढाका विश्व विद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया है;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य सिविल सेवा (ग्रुप "ग")

भाग—II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीकता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्तित सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो:—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय महाविद्यालय; विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

(5) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोर्ड अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना संख्या 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना संख्या 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो: अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जायेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति: —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या निरर्हताएं।

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग ।

9. (1) सेवा में सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां निम्नलिखित ढंग से की जावेंगी: —

(क) चकबन्दी कानूनगो, पेशी कानूनगो तथा निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जावेंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार नहीं देगी ।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:—

परन्तु:—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति-नियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जावेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिस ने ऐसे स्थानापन्न रूप मे कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परीवीक्षा अवधि समाप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य तथा आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उस के पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी अन्य ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परीवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी,--

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिन से वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी। अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतम दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व ।

12 (i) सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,--

(i) कोई कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास है ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार अथवा गैर सरकारी निकाय के पास न हो परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ?

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ब" में विनिर्दिष्ट है ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ब) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में बताया गया हो ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब भी सरकार किसी विशेष या साधारणआदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्त प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेषाधिकार व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

20. पंजाब चकबन्दी राज्य सेवा वर्ग III (कार्यकारी शाखा) नियम, 1962, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाही समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

[देखिए नियम 3]

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सहायक चकबन्दी अधिकारी	9	16	25	1,400—40—1,600—50—2,300—द० रो०—60 जमा 100—विशेष वेतन नोट :—विशेष वेतन वेतनमान का भाग नहीं होगा।

परिशिष्ट ख

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सहायक चकबन्दी अधिकारी	—	पदोन्नति द्वारा (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष । (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (iii) चकबन्दी कानूनगो/चकबन्दी निरीक्षक/पेशी कानूनगो के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति अधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक चकबन्दी अधिकारी	निदेशक	लघु शास्तियां—			
			(i) वैयक्तिय फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
			(ii) परिनिन्दा;	उपरोक्त		
			(iii) पदोन्नति रोकना;	उपरोक्त		
			(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित	उपरोक्त		

1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक फकबन्दी अधिकारी	निदेशक	हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना;			
			(2) बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर क्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार

1	2	3	4	7	6	7
1	सहायक चकबन्दी अधिकारी	निदेशक	अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं, (vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणत: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक चकबन्दी अधिकारी	निदेशक	(viii) अनिवार्य सेवा निवृति; (ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; (x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी।	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
	सहायक चकबन्दी अधिकारी	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; और	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार

बी० एस० ओझा,

सचिव, हरियाणा सरकार.
चकबन्दी विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 21st June, 1991

No. G.S.R. 40/Const./Art. 309/91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department (Group C) service namely:—

PART I—GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department (Group C) Service Rules, 1991.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an Officer already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Director" means the Director, Consolidation of Holidings, Haryana;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "institution" means:—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognised university" means;—

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate contained as a result of an examination held before the 15th day of August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules; and

(g) "Service" means the Haryana Consolidation Department (Group C) service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Charecter of posts.

3. The Service si all comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burman, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, and Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibiltty is is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, collage, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age, on or before the 1st day of August next proceeding the last date of submission of application to the Board or any other recruiting authority.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person other than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the direction of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes-backward classes ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience are not available to fill in the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the post of Assistant Consolidation Officer shall be made,—

(a) by promotion from amongst Consolidation Kanungos, Peshi Kanungos and Inspectors ; or .

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion been not satisfactory,—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, or if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation ; including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that when there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined respectively for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by district recruitment, the order of merit determined by the Board or any other recruiting authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined, according to pay, preference being given ro a memeer who was drawing higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of a pay drawn are also the same, then by the length of their services in the appointments, and if the length of their service is also the same, the order member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) and (iii) except with his consent.

Pay leave pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India, or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline penalties and appeals.

14 (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time ;

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clauses (c) or clause (d) or sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to Constitution of India, as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing athority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-serviceman, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and Savings.

20. The Punjab Consolidation of Holdings State Service Class III (Executive Service) Rules, 1962, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* Rule 3)

Sr. No.	Designation of post	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Consolidation Officer	9	16	25	Rs. 1,400—40—1,600—50—2,600—EB—60—2,600+100 as special pay

Note :—Special Pay shall not form part of the pay scales.

APPENDIX B

[*See* Rule 7]

Serial No.	Designation of Post	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Assistant Consolidation Officer	—	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. (iii) Five years experience as Consolidation Kanungo, Peshi Kanungo or Inspector.

APPENDIX C

[*See* Rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Assistant Consolidation Officer	Director	Minor Penalties : (i) warning with a copy in the personal file (character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government

1	2	3	4	5	6	7
			negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company or association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the legislature of a State; and	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government
			(v) withholding of increments of pay			
			Major Penalties :			
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the			

1	2	3	4	5	6	7
			Goverment employee will earn increements of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;			
			(vii) reduction to a lower scale of pay grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government

1	2	3	4	5	6	7
			(viii) compulsory retirement; (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ; (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government

APPENDIX D

[*See* Rule 14 (2)]

Serial No.	Designation of Post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Consolidation Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government

B. S. OJHA,

Secretary to Government, Haryana,
Consolidation Department.

हरियाणा सरकार

चकबन्दी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अगस्त, 1991

सं० सा० का० नि० 59/सं०वि० अनु० 309/91.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा चकबन्दी विभाग कानूनगों (ग्रुप "ग") सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा चकबन्दी कानूनगो (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1991, कहे जा सकते हैं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवायें प्रवरण बोर्ड हरियाणा;

(ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक चकबन्दी हरियाणा;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है :—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिप्राय है :—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्मित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधिपत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा चकबन्दी विभाग कानूनगो (ग्रुप ग) सेवा ।

भाग–II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या और स्वरूप

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट (क) में बताए गये पद होंगे :

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य, भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार, (जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हो कर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित किसी संवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों किन्तु उसके

व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भान्ति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जावेगा जो बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी ।

अर्हताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जाएगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े, वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे ।

निरर्हताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति-पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति-पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है :

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी ;—

(क) चकबन्दी कानूनगो की दशा में,—

(i) चकबन्दी पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण ; या

प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ब) पेशी कानूनगो की दशा में, —

(i) चकबन्दी पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण ; या

प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार नहीं देगी।

विभागीय परीक्षा।

10. सेवा में नियुक्त किए गये कानूनगों को नियुक्ति से दो वर्ष के अन्दर इन नियमों के परिशिष्ट ङ में पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्तों के अनुसार निदेशक भू अभि लेख द्वारा आयोजित की गई कानूनगो की परीक्षा पास करनी होगी। जो उम्मीदवार निर्धारित अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं करेगा उसे उसी पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा जिस पर वह पहले कार्यरत था, किन्तु उसे परीक्षा पास करने के लिए सरकार के अनुमोदन पर दो अवसर और प्रदान कर दिए जाएंगे।

परिवीक्षा।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा :

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति

जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो; पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी;—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है यदि अन्यथा नियुक्त

किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता। 12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :—

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग अलग रूप से निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता निश्चित करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वह पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतम दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (II) तथा खण्ड (III) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

14. वेतन छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप में उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन शास्तियां तथा अपील।

15. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "ब" में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना । 16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवाएगा या पुन: टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ । 17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति । 18. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध। 19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण । 20. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा किसी अन्य वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति । 21. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व लागू हो, इसके द्वारा निरसित किए जाता है :

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुरूप किए गये उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	चकबन्दी कानूनगो	24	40	64	1,400-40-1,600 रुपये द० रो०—50-2,300 द०रो०-60-2,600 जमा 100 रुपये विशेष वेतन।
2.	पेशी कानूनगो	—	7	7	1,400—40—1,600 द०रो० 50—2,300—द०रो०—60—2,600 जमा 100 रुपये विशेष वेतन।

नोट:—विशेष वेतन वेतनमान का भाग नहीं होगा।

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	चकबन्दी कानूनगो	—	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा पास हो। (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (iii) चकबन्दी पटवारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव (पटवार पाठ्यक्रम पास)
2.	पेशी कानूनगो	—	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा पास हो। (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (iii) चकबन्दी पटवारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव (पटवार पाठ्यक्रम पास)

परिशिष्ट "ब"

[देखिये नियम 15 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	चकबन्दी कानूनगो	निदेशक	(i) छोटी शास्तियां (i) (वैयक्तिक फाईल) आचरण पंजी पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
			(ii) परिनिन्दा ;		यथोपरि	यथोपरि
			(iii) पदोन्नति रोकना ;			
			(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय,			

1	2	3	4	5	6	7
			चाहे वह निगमित हो या नहीं, पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना ।			
			(ii) बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	निदेशक वित्तायुक्त राजस्व	सरकार	

(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;

(viii) अनिवार्य सेवा निवृति ;

(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजक के लिये निरर्हता नहीं होगी ;

(x) सेवा में पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।

परिशिष्ट "घ"

[देखिए नियम 15(2)]

क्रमांक संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	चकबन्दी कानूनगो	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति			

परिशिष्ट (ङ)

(देखिये नियम 10)

कानूनगों की परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिए पाठ्य क्रम तथा अन्य शर्तें।

कानूनगो की परीक्षा

पर्चा	विषय	कुल अंक	कम से कम पास अंक	अनुज्ञात समय
प्रथम	1. स्थाई आदेश 1 तथा 64 (केवल पैरा 6)	120	40 प्रतिशत	तीन घण्टे
	2. अध्याय 2, 3, 4 (भाग ध) 7, 8, 10, 19 पैरा 13, 16 तथा पैरा 20 जहां तक इसका सम्बन्ध भू-अभिलेख कुलज निर्देशिका की विवरणी क, ख, ग, से है।			
	3. परिशिष्ट 7-9 तथा 21 डिवूईज बन्दोबस्त निर्देशिका।			
	4. छूआ छूत (अपराध) अधिनियम सब नागरिक अधिकार, संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 22)			
	5. हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम 1972।			
दूसरा	पटवारिज मैन्सयोरेशन	70	40 प्रतिशत	तीन घण्टे
तीसरा	आठवीं स्टैन्डर्ड तक गणित	60	40 प्रतिशत	तीन घण
चौथा	उर्दू			
	श्रुतलेख तथा सुलेख (25)		33 प्रतिशत	
	हिन्दी	50		दो घण्टे
	श्रुतलेख तथा सुलेख (25)		40 प्रतिशत	

ए० बैनरजी,
सचिव, हरियाणा सरकार,
चकबन्दी विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 30th August, 1991

No. G.S.R. 59/Const./Art. 309/91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governer of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department Kanungo (Group 'C') Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department Kanungo (Group C) Service Rules, 1991.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;

(*b*) "Director" means the Director, Consolidation of Holdings, Haryana;

(*c*) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(*d*) "Institution" means,—

(*i*) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(*ii*) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules.

(*e*) "recognised university" means,—

(*i*) any university incorporated by law in India; or

(*ii*) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca university; or

(*iii*) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

(f) "Service" means the Haryana Consolidation Department Kanungo (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

4. (*1*) No person shall be appointed to any post in service unless he is, —

(*a*) a citizen of India; or

(*b*) a subject of Nepal; or

(*c*) a subject of Bhutan; or

(*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda the united Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(*2*) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(*3*) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age, on or before the 1st day of August next preceding the last date or submission of application to the Board.

Appointing authority.

6. Appointment to any post in the service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person sahll be appointed to the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered in to or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered in to or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and these are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Method of Recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made—

(a) in the case of Consolidation Kanugos—

(i) by promotion from amongst the Consolidation Patwaries or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(b) in the case of Peshi Kanugos,—

(i) by promotion from amongst the Consolidation Patwaries; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and senicrity alone shall not confer any right to such promotions.

Departmental Examination.

10. The persons appointed to the service shall have to qualify within a period of two years of his appointment, the Kanungos' examination conducted by the Director Land Records, Haryana as per syllabus and other conditions embodied in Appendix 'E' of these rules. The candidate who does not qualify the said examination within the stipulated period will be reverted to the post from which he was as Kanungo, provided he may be given two more chances to qualify the examination with the approval of the Government.

Probation.

11. (1) persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, appointed otherwise Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service may, in the case of an appointment by transfer at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed, period of probation, be entitled to be confirmed unless is appointed against a permanent vacancy.

(2) It, in the opinion of the appointing authourty the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed be direct recruitment dispense with his services. and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitmeut—

(i) revert him to his former post, or

(ii) deal with him to such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory.—

(i) confirm such person from the date of his pppointment, if appointed against permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy, occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy: or

(b) if his work or conduct has in its opinion been not satisfactory—

(i) dispence with his service, if appointed by direct recruitment,, if appointed otherwise,revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period or probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

12. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more member appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(*a*) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(*b*) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(*c*) in the case of member appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(*d*) in the case of member appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the central or any other State Government or any orgnisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State legislature.

Discipline, penalties and appeals.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be impposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rule made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

16. Every member of the Serivce, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

18. Where the Goverament is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

19. Notwithstanding any thing contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes and Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category or persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

Repeal and Savings.

21. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of the rules is being repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repeaded shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* Rule 3)

Sr. No.	Designation of post	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Consolidation Kanungo	24	40	64	Rs 1,400—40—1,600—50—23,00—EB 60—2,600+Rs 100 Special Pay.
2	Peshi Kanungo	—	7	7	Rs 1,400—40—1,600—50—2,300—EB—60—2,600+Rs 100 Special Pay.
					Note.—Special pay shall not form part of the pay scales

APPENDIX B

[*See* Rule 7]

Serial No.	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Consolidation Kanungo	—	(i) Matric or its equivalent from a recognised university or Board. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. (iii) Three years experience as Consolidation Patwari (Patwar course Pass)
2	Peshi Kanungo	—	(i) Matric or its equivalent from a recognised university or Board. (ii) Knowledge of Hindi up to Matric standard. (iii) Three years experience as Consolidation Patwari (Patwar Course pass)

APPENDIX C

[*See* Rule 15 (1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Final and second appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1 2	Consolidation Kanungo Peshi Kanungo	Director	Minor Penalties : (i) warning with a copy in the personal file (character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from the pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government

1	2	3	4	5	6	7
			negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) withholding of increments of pay.			
			Major Penalties :			
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the	Director	F.C.R.	Government

1	2	3	4	5	6	7
			Government employee will earn increments or pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;			
			(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;			

1	2	3	4	5	6	7
			(viii) compulsory retirement; (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ; (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	Director	F.C.R.	Government

APPENDIX D

[*See* Rule 15 (2)]

Serial No.	Designation of Post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1 2	Consolidation Kanungo Peshi Kanungo	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government

APPENDIX E

(See Rule 10)

Syllabus and other conditions for qualifying examination for Kanungo.

EXAMINATION OF KANUNGO

Paper	Subject	Maximum Marks	Minimum qualifying marks	Time allowed
First	1. Standing order 1 and 64 (paragraph 6 only) 2. Chapters 2, 3, 4 (Part D) 7, 8, 10, 19 (Paragraphs 13 and 16 and paragraph 20 so far as it is convected with statement A, B, C of Land Records Manual. 3. Appendices VII—IX and XXI of Douic's settlement Manual. 4. The Untouchability (Offences) Act, 1955 now the Protection of Civil Rights Act, 1955 (Act 22 of 1955). 5. The Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.	120	40%	Three hours
Second	Patwaris Mensuration	70	40%	Three hours
Third	Arithmetic upto the Middle School Standard	60	40%	Three hours
Fourth	1. Urdu (25) (Dictation and caligraphy) 2. Hindi (25) (Dictation and caligraphy)	50	33% 40%	Two hours

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
Consolidation Department.

1215 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.

Patwari

हरियाणा सरकार

चकबन्दी विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर, 1990

संख्या सा० का० नि० 75 /संवि/अनु० 309/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित्त उन्हें सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा चकबन्दी विभाग पटवारी (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I सामान्य

1. (1) इन नियमों को हरियाणा चकबन्दी विभाग पटवारी (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1990 कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं ।

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवा प्रवरण बोर्ड, हरियाणा;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पटवारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक चकबन्दी, हरियाणा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(ङ) संस्था से अभिप्राय है:—

हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था, अथवा सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ।

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है:—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा चकबन्दी विभाग, पटवारी (वर्ग ग) सेवा;

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे : परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र ।

(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालवी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारों से चरित्र प्रमाणपत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसे व्यक्तिगत जीवन में उससे परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहली जनवरी के प्रथम दिन को या उस से पहले सत्रह वर्ष की आयु से कम तथा तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति निदेशक द्वारा की जाएगी।

अर्हताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर जब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती दशा में इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जाएगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाली उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

निरर्हताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिस ने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है

या विवाह को संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार को संतुष्ट हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीयविधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा या

(ख) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

उम्मीदवारों का प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा ।

10. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये पटवारी को परिशिष्ट (ङ) में वर्णित पाठ्य विवरण के अनुसार पटवारी परीक्षा पास करनी होती है और निदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा द्वारा निर्दिष्ट अनुसार छः महीने की अवधि का क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है ।

परिवीक्षा ।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:—

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनि जायेगी,

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्टि किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह:—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी:—

(क) यदि उसका कार्य तथा आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें, या

(ii) उसकी परिवीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

12. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(ख) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे, और

(ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी । अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

13 (1) सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य की सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है ।

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय,

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय चाहें वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्र सरकार के पास है, या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वायत निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें।

15. (I) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (I) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

छूट देने की शक्ति।

18. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में छूट देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

20. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परिशिष्ट "क"

[देखिए नियम 3]

क्रम सं०	पद नाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई		
1	2	3	4	5	6
1.	चकबन्दी पटवारी	—	140	140	950-20-1150-द०रो०-25-1500 तथा 60 रु० विशेष वेतन ।

परिशिष्ट "ख"

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	चकबन्दी पटवारी	(1) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष	(1) मैट्रिक अथवा समकक्ष।
		(2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
		(3) कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये पटवारी स्कूल में परीक्षा प्राप्त करने के पश्चात् पटवारी परीक्षा पास हो और परीक्षा पास करने के बाद निदेशक भू-अभिलेख, हरियाणा द्वारा निर्दिष्ट अनुसार छः मास का व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	(3) कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये पटवारी स्कूल में परीक्षा प्राप्त करने के पश्चात पटवारी परीक्षा पास हो और परीक्षा पास करने के बाद निदेशक भू-अभिलेख, हरियाणा द्वारा निर्दिष्ट अनुसार छः मास का व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

परिशिष्ट "ब"

[देखिए नियम 15 (1)]

क्रम सं०	पद नाम	नियुक्ति	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	चकबन्दी पटवारी	निदेशक	(1) छोटी शास्तियां			
			(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
			(ii) परिनिंदा ;			
			(iii) पदोन्नति रोकना ;			
			(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम	निदेशक	सरकार	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
			तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना			
			(2) बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति			

1	2	3	4	5	6	7
			उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
			(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा में सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगी ;	निदेशक	सरकार	सरकार
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति,			
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार			

1	2	3	4	5	6	7
			के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;			
		(x)	सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।	निदेशक	सरकार	सरकार

टिप्पणी:— पैप्सू कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में जो भूतपूर्व पैप्सू सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, खाना सं० 4 के अधीन खण्ड (viii) (ix) तथा (x) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां लगाने के लिए केवल सरकार सक्षम होगी ।

परिशिष्ट "ब"

[देखिए नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	चकबन्दी पटवारी	(i) पैंशन को नियमित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुदेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	निदेशक	सरकार
		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा उसकी नियुक्ति की समाप्ति ।		

टिप्पणी :—पैप्सू कर्मचारीवृन्द के सम्बन्ध में जो भूतपूर्व पैप्सू सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, खण्ड (i) और (ii) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां लगाने के लिए सरकार सक्षम होगी ।

परिशिष्ट "ड"

[देखिए नियम 10]

पंजाब भू-अभिलेख नियम पुस्तिका परिशिष्ट "ख" में पटवारी परीक्षा का पाठ्य विवरण तथा अन्य शर्तें।

(1) पटवारी परीक्षा:

पेपर	विषय	अधिकतम अंक	अनुज्ञात समय
1.	गणित और पटवारी पैमायश	100	तीन घण्टे
2.	भू-अभिलेख नियम पुस्तिका और चकबन्दी	100	तीन घण्टे
3.	भूमि से सम्बन्धित अधिनियम और नियम (पुस्तकों की सहायता से)	100	तीन घण्टे
4.	विनियम अधिनियमों और नियमों का ज्ञान (पुस्तकों की सहायता से)	100	तीन घण्टे
5.	सुलेख लेखन और सुलेख	50	तीन घण्टे
6.	भूमि पैमायश और अभिलेख	100	तीन घण्टे

(2) पेपर संख्या 2 के दो अनुभाग होंगे :

अनुभाग-क—भू-अभिलेख नियम पुस्तिका 70 अंक

अनुभाग-ख—चकबन्दी 30 अंक

(3) (i) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पास अंक प्राप्त करना जरूरी है।

(ii) अनुभाग क में दस प्रश्न होने चाहिएं जिसमें से सात प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हैं।

(iii) अनुभाग ख में पांच प्रश्न होने चाहिएं जिसमें से तीन प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हैं।

(4) पास होने के लिए उम्मीदवार को पेपर संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत और पेपर 5 में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने जरूरी हैं।

(5) छटे पेपर में परीक्षार्थी पटवार शिक्षण काल के दौरान किए गए कार्य को प्रस्तुत करेंगे और पेपरों की विषय वस्तु के सम्बन्ध में उनकी सूझ-बूझ की परीक्षा भी जाएगी । लेखन शैली की श्रेष्टता तथा दिये गये उत्तरों से प्रदर्शित बुद्धिमत्ता के आधार रर उन्हें अधिनिर्णय दिये जायेंगे ।

(6) उम्मीदवार स्वयं नकल किया गया नक्शा प्रस्तुत करेगा जो संस्था के अध्यापक और प्रधान अध्यापक दोनों द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा तब परीक्षक सर्वेक्षण दल को बाहर ले जायेंगे और उनकी उपस्थिति में परीक्षार्थी को नये स्थल पर कार्य करना होगा । प्रत्येक विद्यार्थी को नक्शे की नकल और मूल नक्शे बनाने की योग्यता तथा परीक्षक की उपस्थिति में उसके दल द्वारा किए गए कार्य के आधार पर अंक दिये जायेंगे ।

(7) यदि कोई उम्मीदवार पटवार स्कूल में नियमित रूप से पढ़ने जाने के बाद भी स्थल पैमायश और अभिलेख के पेपर के अतिरिक्त किसी एक या अधिक विषय में पास नहीं होता, तो उसे बाद में उस विषय अथवा उन विषयों में पुनः परीक्षा हेतु बैठने के लिये दो से अधिक अवसर नहीं दिये जायेंगे । स्थल पैमायश और अभिलेख के पेपर में असफल होने वाले उम्मीदवारों को पुनः उस अवधि के दौरान जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को वह विषय पढ़ाया जाता है, स्कूल जाना पड़ेगा और उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी ।

ए० बैनर्जी,
सचिव, हरियाणा सरकार,
चकबन्दी विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CANSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 16th November, 1990

No. G.S.R. 75 Const./Art./309/90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department Patwaris (Group C) Service, namely: —

PART I—GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department Patwaris (Group C) Service Rules, 1990.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;

(b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Director" means the Director, Consolidation of Holdings, Haryana ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Institution" means,—

(i) institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognised University" means,—

(i) any University incorporated by law of in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Consolidation Department Patwari (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

4. (*1*) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces a certificate of character from the Principal academic officer of the University, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty years of age, on or before the 1st day of January next preceding the last date of submission of application to the Board.

Appointing authority.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse, living his entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. Recruitment to the Service shall be made,—

(a) by direct recruitment; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

Training and departmentof examination.

10. Persons appointed by direct recruitment shall have to qualify Patwar examination as per syllabus given in Appendix E and obtain a certificate of field training for a period of six months as may be specified by the Director, Land Records, Haryana.

Probation.

11. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on promotion for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service may, in the case of an appointment to any post by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his pervious appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation, satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation ;

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

12. Seniority, interest of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer ;

(b) in the case of members appointed by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were transferred ; and

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

(i) A company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave pension and other matters.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules the members of the service shall be governed by such rules, and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules, made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987, and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

16. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

19. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

20. Nothing contained in these rules, shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

APPENDIX A

(*See* **Rule 3**)

Serial No.	Designation of post	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Consolidation Patwari	—	140	140	Rs. 950—20—1,150—EB—25—1,500 plus Rs. 60 as special pay

APPENDIX B

(*See* **Rule 7**)

Serial No.	Designation of post	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Consolidation Patwari	(1) Matriculation or its equivalent (2) Knowledge of Hindi upto Matric standard (3) Qualifies the patwar examination after attending the patwar school for a minimum period of one year and after qualifying the examination undergoes such practical field training for a period of 6 months as may be specified by the Director, Land Records, Haryana	(1) Matriculation or its equivalent (2) Knowledge of Hindi upto Matric standard (3) Qualifies the patwar examination after attending the patwar school for a minimum period of one year and after qualifying the examination undergoes such practical field training for a period of 6 months as may be specified by the Director, Land Records, Haryana

APPENDIX C

[*See* rule 15(1)]

Serial No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Consolidation Patwari	Director	(1) Minor Penalties—		
			(i) Warning with a copy in the personal file (Character roll);		
			(ii) Censure;		
			(iii) Withholding of promotion;		
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a	Director	Government

1	2	3	4	5
		body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority set up by an act of Parliament or of the Legislature of a State; and		
		(v) Withholding of increments of pay;		
		(2) Major Penalties—		
		(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay;		

1	2	3	4	5	6
			(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;	Director	Government
			(viii) compulsory retirement;		
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;		
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

Note:—The State Government alone will be competent to impose penalties specified in clause (viii), (ix) and (x) under column 4 in respect of Pepsu employees who were appointed by the erstwhile Government of Pepsu.

APPENDIX D

[*See* rule 15 (2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Consolidation Patwari	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Government

Note:—The State Government alone will be competent to impose penalties specified in (i) and (ii) above in respect of Pepsu employees who were appointed by the erstwhile Government of Pepsu.

APPENDIX E

(*See* Rule 10)

Syllabus and other conditions of examination for patwaris as contained in Appendix B of Punjab Land Records Manual.

(I) EXAMINATION OF PATWARIES

Paper	Subject	Maximum marks	time allowed
1.	Arithmetic and Patwaries Mensuration	100	3 hours
2.	Land Records Manual and Consolidation of Holdings	100	3 hours
3.	Acts and Rules pertaining to lands (with the aid of books)	100	3 hours
4.	Knowledge of various Acts and Rules (with the aid of books)	100	3 hours
5.	Dictation, Composition and Caligraphy	50	3 hours
6.	Spot Measurement and Records	100	3 hours

(2) Paper 2 shall consist of Sections A and B.

Section A—Land Records Manual 70 marks

Section B—Consolidation of holdings 30 marks

(3) (i) A candidate must obtain qualifying marks in each section.

(ii) Section-A shall contain ten questions, out of which seven are required to be attempted.

(iii) Section-B shall contain five questions, out of which three are reuired to be attempted.

(4) To qualify an examination, a candidate must obtain 40% marks in respect of Papers 1, 2, 3, 4 and 6 and 50% marks in respect of Paper 5.

(5) In paper 6 the examinees will produce the work done by them during the term of patwar school and will be examined on the contents of the papers in order to asocrtain their understanding. Mark will be awarded for excellence writing and aptitude shown in replies

(6) A candidate will produce a map copied by him duly certified by the teacher and headmaster of the institution. Survey squads will then be taken out by the examiners and the candidate shall be required to work on new ground in their presence. Marks will be awarded according to the merits of each map copy and original map and according to the working in the examiner's presence.

(7) If a candidate after regularly attending the patwar school fails to qualify in one subject or more than one except spot Measurement and Records, he may be allowed not more than two occasions to sit for re-examination in that subject or those subjects. Candidates failing in Spot Measurement and Records, will have to attend the school again for the term during which the trainees are taught that subject, and will be required to sit for re-examination therein.

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
Consolidation Department.

Clerk

हरियाणा सरकार

चकबन्दी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 55/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य चकबन्दी विभाग लिपिक वर्गीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा राज्य चकबन्दी विभाग लिपिक वर्गीय (ग्रुप ग) सेवा संशोधन नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य चकबन्दी विभाग लिपिक वर्गीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"9क.—(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रैस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप–नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण–पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(4) कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसैसिंग, इन्टरनैट बराउजिंग तथा ई–मेल मैनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्पयूटर पर परीक्षित की जायेगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :—

(i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्पयूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटैकनिक्स से कम्पयूटर में डिप्लोमा;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्पयूटर साक्षरता प्रमाण–पत्र;

(iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सीज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण–पत्र (एचएससीआईटी);

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जायेगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन, ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरैलइसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नैःव पॉःल्जि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नैःवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशॅन डिजेनेरिटिव डिसऑःर्डर्स जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप–पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,–

(I) क्रम संख्या 7 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(i) 10+2:";

(II) क्रम संख्या 8 के सामने,–

(I) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(i) 10+2;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

(iii) नियम 9 के दृष्टिगत विद्यमान (iii) लोप की गई है"; तथा

(II) खाना 4 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

"(i) 10+2;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

(iii) नियम 9 के दृष्टिगत विद्यमान (iii) लोप की गई है;

(iv) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।"।

कृष्ण मोहन,
अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 55/Const./Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), after Rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

"9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the Authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as

the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The Employees possessing the following qualification are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—

(i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnic;

(ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];

(iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;

(iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and

(v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (Left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).".

3. In the said rules, in Appendix B,—

I. against serial number 7, under column 3, for the existing item (i) the following item shall be substituted, namely:—

"(i) 10+2;";

II. against serial number 8,—

(I) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—

"(i) 10+2;

(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;

(iii) Existing (iii) omitted in view of rule 9A"; and

(I) under column 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—

"(i) 10+2;

(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;

(iii) Existing (iii) omitted in view of rule 9A;

(iv) Five years experience as peon.".

KRISHNA MOHAN,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to
Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

चकबन्दी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 1998

संख्या सा० का० नि० 99 संवि०/अनु०/309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा चकबन्दी विभाग, लिपिक–वर्गीय कर्मचारी वृन्द (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य चकबन्दी, विभाग, लिपिक–वर्गीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं।

(2) ये इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक चकबन्दी, हरियाणा ;

(घ) "वित्तायुक्त राजस्व" से अभिप्राय है, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(छ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा चकबन्दी विभाग लिपिक-वर्गीय कर्मचारी-वृन्द (ग्रुप ग) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

4. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे, और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भान्ति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले मास के प्रथम दिन को अथवा उससे पूर्व 17 वर्ष की आयु से कम का या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक, द्वारा की जावेंगी।

योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी। यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो ऐसा करने के लिये लिखित रूप से कारण दिये जावेंगे।

अयोग्यताए :

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जावेगी :—

(क) निजी सहायक की दशा में,—

(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) उपाधीक्षक की दशा में, —

(i) सहायकों या लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) सहायकों की दशा में,—

(i) लिपिकों या कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) लेखाकार की दशा में, —

(i) 50 प्रतिशत लिपिकों या कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) चालक की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) लिपिक की दशा में,—

(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ii) 20 प्रतिशत सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो सभी पदोन्नति या ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिये हकदार नहीं बनायेगी ।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी ;

(ब) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा–अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(स) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता उनके वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिये प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि–निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या व्यष्टि–निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी ,यदि वह नियुक्ति आदेशों में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति ।

20. (1) पंजाब चकबन्दी सेवा राज्य सेवा वर्ग, III (लिपिक वर्गीय कर्मचारी वृन्द) नियम, 1962, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
1	निजी सहायक	—	1	1	1640-60-2600-दक्षतारोध-75-2900 रुपये
2	उपाधीक्षक	1	2	3	1640-60-2600-दक्षतारोध-75-2900 रुपये
4	सहायक	3	5	8	1400-40-1600-50-2300-दक्षतारोध 60-2600 रुपये
4	लेखाकार	—	2	2	1400-40-1600-50-2300-दक्षतारोध 60-2600 रुपये
5	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	1	1	1400-40-1600-50-2300-दक्षतारोध 60-2600 रुपये
6	चालक	1	3	4	1200-30-1560-दक्षतारोध-40-2040 जमा मुख्यालय में काम करने वाले चालकों को 200 रुपये विशेष वेतन और क्षेत्र में काम करने वाले चालकों को 100 रुपये विशेष वेतन।
7	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	2	3	1200-30-1560-दक्षतारोध-40-2040 रुपये
8	लिपिक	5	45	50	950-20-1150-दक्षतारोध-25-1500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4
1	निजी सहायक	—	(i) मैट्रिक/हायर सैकण्डरी या समकक्ष या 10+2 (व्यावसायिक) ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट और 15 शब्द प्रति मिनट उसका प्रतिलेखन तथा अंग्रेजी आशु लिपिक 100 शब्द प्रति मिनट और 20 शब्द प्रति मिनट उसका प्रतिलेखन, (iv) वरिष्ठ आशु लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;
2	उपाधीक्षक	—	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा ; (ii) सहायक अथवा लेखाकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;
3	सहायक	—	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा ;

1	2	3	4
			(ii) कनिष्ठ वेतनमान आशु लिपिक या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
4	लेखाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ;	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(ii) लिपिक या कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष वर्ष का अनुभव।
5	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक;	(i) मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष 10+2 (व्यवसायिक);
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
		(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;	(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;
		अथवा	अथवा
		100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका उसका प्रतिलेखन।	100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;
			(iv) कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
6	चालक	(i) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष ;	(i) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष ;
		(ii) हल्के वाहन चलाने के दो वर्ष के अनुभव सहित हल्के वाहन चलाने का लाईसैंस धारण करता हो।	(ii) हल्के वाहन चलाने का दो वर्ष के अनुभव सहित हल्के वाहन के चलाने का लाईसैंस रखता हो।

1	2	3	4
7	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष अथवा 10+2 (व्यवसायिक)	(i) मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष 10+2 (व्यवसायिक)
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;
		(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;	(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;
		अथवा	अथवा
		100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट उसका प्रतिलेखन।	100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।
			(iv) कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
8	लिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक अथवा 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष परीक्षा ;	( ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक उच्चतर माध्यमिक अथवा 10+2 (व्यवसायिक) या समकक्ष परीक्षा;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;
		(iii) क्रमशः 25 तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईप ;	(iii) क्रमशः 25 तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईप;
			(iv) लेखादार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ॥

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय या अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
			छोटी शास्तियां :			
1	निजी सहायक	निदेशक	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;	निदेशक	विलायुक्त, राजस्व	
2	उपाधीक्षक		(ii) परिनिन्दा ;			
3	सहायक		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
4	लेखाकार		(iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास है,			
5	वरिष्ठ वैतनमान आशुलिपिक					
6	चालक					
7	अवर वैतनमान आशुलिपिक					

1	2	3	4	5	6	7
8	लिपिक		या संसद या किसी राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;	निदेशक	वित्तामुक्त, राजस्व	सरकार
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			बड़ी शास्तियां :			
			(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर क्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतया			

1	2	3	4	5	6	7
			रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उनकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;			
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति ;			
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यत: निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6
1	निजी सहायक	(i) पैंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
2	उपाधीक्षक				
3	सहायक	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			
4	लेखाकार				
5	अवर वेतनमान आशुलिपिक				
6	चालक				
7	अवर वेतनमान आशुलिपिक				
8	लिपिक				

के० जी० वर्मा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
चकबन्दी विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 27th March, 1998

No. G.S.R. 99/Const/Amd./309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means Staff Selection Commission, Haryana ;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Director" means the Director, Consolidation of Holdings, Haryana;

(d) "Financial Commissioner Revenue" means the Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Revenue Department ;

(e) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(f) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(g) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(h) "Service" means the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service ;

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of Posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and Character of candidates appointed to Services.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government .

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting anthority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government .

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution .

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age, on or before the 1st day of the month next preceding the last date of submission of application to the Commission .

Appointing authority.

6. Appointments to any post in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, backward classes, ex-Servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of Recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Personal Assistant,—

(i) by promotion from amongst the Senior Scale Stenographer ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(b) in the case of Deputy Superintendent,—

(i) by promotion from amongst the Assistants or Accountants ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) in the case of Assistant,—

(i) by promotion from amongst the Clerks or Junior Scale Stenographers ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) in the case of Accountant,—

(i) 50% by promotion from amongst the Clerks or Junior Scale Stenographers ; and

(ii) 50% by direct appointment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;

(e) in the case of Senior Scale Stenographer, —

(i) 50% by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer ; and

(ii) 50% by direct appointment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(f) in the case of Driver,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(g) in the case of Junior Scale Stenographer,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(h) in the case of Clerk,—

(i) 80% by direct appointment ; and

(ii) 20% by promotion from amongst Peons : or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period apent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy ;

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise then by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extention, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadres in the service, seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in case of a member appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority shall not be disturbed in fixing the seniority ;

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed b promotion shall be senior to member appointed by transfer ;

(c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted for transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve

12. (1) A member of the Serivce shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana ; on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :—

(i) a company, an association or a body of individulas whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, pension and other matters

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members, of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause-(c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) rules:, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules .

Vaccination

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so .

Reservations

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedule Caste, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made, shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and Savings

20. The Punjab Consolidation of Holding Class III (Ministerial Services) Rules 1962, in their application to the State of Haryana are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

S. No	Designation of posts	No. of Posts		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
					Rs.
1	Personal Assistant	..	1	1	1,640—60—2,600—EB—75—2,900
2	Deputy Superintendent	1	2	3	1,640—60—2,600—EB—75—2,900
3	Assistant	3	5	8	1,400—40—1,600—50—2,300—EB—60—2,600
4	Accountant	..	2	2	1,400—40—1,600—50—2,300—EB—60—2,600
5	Senior Scale Stenographer	1	1	1	1,400—40—1,600—50—2,300—EB 60—2,600
6	Driver	1	3	4	1,200—30—1,560—EB—40—2,040 plus Rs. 200 as special pay working in Head Office and Rs. 100 special pay for driver working in the field.
7	Junior Scale Stenographer	1	2	3	1,200—30—1,560—EB—40—2,040
8	Clerk	5	45	50	950—20—1,150—EB—25—1,500.

APPENDIX B

(*See* rule 7)

S. No	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Personal Assistant		(i) Matriculation or Higher Secondary or equivalent or 10+2 (Vocational) ; (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ; (iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 Words per minute and English shorthand at 100 words per minute and transcrip tion there of at 120 words per minute ; (iv) Three years experience as Senior Scale Stenographer.
2	Deputy Superintendent]		(i) Matric or equivalent examination of recognised university or Board ; (ii) Three years experience as Assistant or Accountant.
3	Assistant		(i) Matric or equivalent examination of a recognised University or Board; (ii) Three years experience as Clerk or Junior Scale Stenographer .
4	Accountant	(i) Graduate of a recognised University ; (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard	(i) Matric or equivalent examination of a recognised university or Board ; (ii) Three years experience as Clerk or Junior Scale Stenographer.

1	2	3	4
5	Senior Scale Stenographer	(i) Graduate of a recognised University:	(i) Matric or Higher Secondary or equivalent or 10+2 Vocational :
		(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard:	(ii) knowledge of Hindi up to Matric standard ;
		(iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute OR English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof 20 words per minute.	(iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; OR English shorthand at 100 words per minute and transeription thereof at 20 words per minute;
			(iv) One year experience as Junior Scale Stenographer ;
6	Driver	(i) Matric or its equivalent:	(i) Matric or its equivalent:
		(ii) Must possess driving licence of a light vehicles with two years experience of driving a light vehicle.	(ii) Must possess driving licence of light vehicle with two years experience of driving a light vehicle.
7	Junior Scale Stenographer	(i) Matric or Higher Secondary or equivalent or 10+2 (Vocational);	(i) Matric or Higher Secondary or equivalent or 10+2 (Vocational);
		(iii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard;	(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;
		(iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute ; OR English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute;	(iii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute ; OR English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute;
			(iv) Three years experience as Junior Scale Stenographer

1	2	3	4
8	Clerk	(i) Matric or Higher Second dary or 10+2 (Vocational) or equivalent examination of a recognised University or Board;	(i) Matric or Higher Secondary or 10+2 (Vocational) or equivalent examination of a recognised University or Board ;
		(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;	(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;
		(iii) Hindi and English type at 25 words per minute and 30 words per minute respectively;	(iii) Hindi and English type at 25 words per minute and 30 words per minute respectively ;
			(iv) Five years experience as Peon:

APPENDIX C

[*See* rule 14 (I)]

Sr. No	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose panalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Personal Assistant	Director	1. **Minor Penalties**—	Director	Financial Cmmissioner Revenue	
2	Deputy Superintendent		(i) warning with a copy in the persona personal file (Character roll);			
3	Assistant		(ii) censure;			
4	Accountant		(iii) withholding promotion ;			
5	Senior Scale Stenographer		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company or an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and			
6	Driver					
7	Junior Scale Stenographer					
8	Clerk					

1	2	3	4	5	6	7
			(v) withholding of increments of pay with out cumulative effect;			
			2. **Major Penalties,—**			
			(va) with holding of increments of pay with cumulative effect:			
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and wherther on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;			
			(vii) reduction to a lower scale of pay grade, post or service which ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or service			

1	2	3	4	5	6	7
			from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
			(viii) Compulsory retirement ;			
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;			
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government ;			

APPENDIX D

[*See* rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Personal Assistant	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or Additional pension admissible under the rules governing pension;	Director	Finanacial Commissioner Revenue	Government
2	Deputy Superintendent				
3	Assisiant	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation ;			
4	Accountant				
5	Senior Scale Stenographer				
6	Driver				
7	Junior Scale Stenographer				
8	Clerk				

K. G. VARMA,

Secretary to Government, Haryana,

Consolidation Department.

20145/CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.

हरियाणा सरकार

चकबन्दी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 नवम्बर, 1990

सं० सा०का०नि० 74/संवि०/अनु० 309/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 209 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा चकबन्दी विभाग ग्रुप "ख" सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग—I—सामान्य

संक्षिप्त ।

1. ये नियम हरियाणा चकबन्दी विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियमावली, 1990, कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो,

(ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक चकबन्दी विभाग, हरियाणा,

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार,

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था, या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था,

(ङ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र को दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा चकबन्दी विभाग (ग्रुप-ग) सेवा।

भाग-II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका जंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भांती परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले जनवरी के प्रथम दिन को या उससे पहले सोलह वर्ष से कम आयु का या पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी।

अर्हताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना–3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना–4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

निरर्हताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति ,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली हो, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जावे कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

9. सेवादारों तथा चौकीदारों के पदों पर सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी—

(i) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत, और

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे ग्रुप ग कर्मचारियों में से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 20 प्रतिशत ।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो सेवा में जब कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी निश्चित करेगा कि ऐसी रिक्ति को किस रीति में भरा जाए ।

परिवीक्षा । 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष तक की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :—

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् अनुरूप पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी,

(ख) स्थानातरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले समकक्ष पद पर कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गनने दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह :—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से पदच्युत कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो ,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो :—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो :—

(i) यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया हो तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जावेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग निश्चित की जावेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित् योग्यता क्रम जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तित नहीं किया जावेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित् की जावेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी जिनसे वे स्थानान्तरित किए गये थे, और

(ग) स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित् की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे समस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगरनिगम, स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टिनिकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो कोई गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ब" में निर्दिष्ट है ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में बताया गया हो।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबंध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. पंजाब राज्य (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 1963, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया अथवा की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	सेवादार	38	60	98	750—12—870—दक्षतारोध—14—940 रु०
2	चौकीदार	...	3	3	750—12—870—दक्षतारोध—14—940 रु०

परिशिष्ट "ख"

(देखिए नियम 7)

क्र० सं०	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हों	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हों
1	2	3	4
1	सेवादार	हिन्दी सहित आठवीं पास	हिन्दी सहित आठवीं पास
2	चौकीदार	हिन्दी सहित आठवीं पास	हिन्दी सहित आठवीं पास

परिशिष्ट "ग"

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	सेवादार	निदेशक	छोटी शास्तियां—	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा	—
2.	चौकीदार		(क) वैयक्तिक फाईल (आवरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;			
			(ख) परिनिन्दा ;			
			(ग) पदोन्नति रोकना;			
			(घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के			

1	2	3	4	5	6	7
			अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;			
			(ङ) वेतन वृद्धियां रोकना;			
			(च) बड़ी शास्तियां;			
			(छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निरन्तर क्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा	सरकार
			(ज) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिसमें वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत			

1	2	3	4	5	6	7

किया गया था । उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उन के बिना होगा ;

(ज) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;

(झ) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(ञ) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।

परिशिष्ट "घ"

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	सेवादार	(I) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ।	निदेशक	वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा	सरकार
2.	चौकीदार	(II) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अक्षमता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			

ए० बैनर्जी,

सचिव, हरियाणा सरकार,
चकबन्दी विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 16th November, 1990

No. G.S.R. 74/Const./Art. 309/90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department (Group D) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short title

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department (Group D) Service Rules, 1990.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(*b*) "Director" means the Director, Consolidation, Haryana;

(*c*) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(*d*) Institution means,—

(*i*) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(*ii*) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(*e*) "recognised university" means,—

(*i*) any university incorporated by law in India; or in the case of degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca university; or

(*ii*) any other university which is declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules;

(*f*) "Service" means the Haryana Consolidation Department (Group D) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and Character of candidates appointed to the Service.

4. (i) No person shall be appointed to the Service unless he is—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than sixteen years or more than thirty-five years of age, on or before the 1st day of January, next preceding the last date of submission of applications to the appointing authority.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the service to the posts of peons and chowkidars shall be made,—

(i) 80 per cent by direct recruitment ; and

(ii) 20 per cent by transfer or deputation from Group D already in the service of the State Government or the Government of India.

(2) Unless otherwise provided, whenever any vacancy occurs or is about to occur the appointing authority shall determine the manner in which such vacancy shall be filled in.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that—

(a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding post, shall count towards the period of probations ;

(b) any period of work in equivalent rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the probation is not satisfactory it may.—

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment;

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanant vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit if appointed otherwise; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, interse of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in Service the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the orders of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows: —

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer;

(b) in the case of members appointed by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were transferred; and

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the order number shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) Every member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under: —

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation, or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave Pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the numbers of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline Penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so direct by special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Nonwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expendient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and saving.

20. The Punjab State (Class IV) Service Rules, 1963 are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Peon	38	60	98	Rs. 750—12—870—EB—14—940
2	Chowkidar	—	3	3	Rs. 750—12—870—EB—14—940

APPENDIX B

(*See* Rule 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment	Academic qnalifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Peon	Middle Pass with Hindi	Middle Pass with Hindi
2	Chowkidar	Middle Pass with Hindi	Middle Pass with Hindi

APPENDIX C

[*See* Rule 14(1)]

Serial No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1 2	Peon Chowkidar	Director	Minor penalties (i) Warning with a copy in the personal file (Character roll) ; (ii) Censure ; (iii) Withholding of promotion ; (iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is woolly or substan-	Director	Financial Commissioner Revenue, Haryana	Government

1	2	3	4	5	6	7
			tially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or the Legislature of a State ; and			
			(v) Withholding of increments or pay;			
			Major Penalties.			
			(vi) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;	Director	Financial Commissioner, Revenue, Haryana	Government
			(vii) Reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without			

1	2	3	4	5	6	7
			further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
			(viii) Compulsory retirement ;	Director	Financial Commissioner, Revenue, Haryana	Government
			(ix) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government.			
			(x) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[*See* rule 14 (2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1 2	Peon Chowkidar	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension. (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Financial Commissioner, Revenue, Haryana	Government

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
Consolidation Department.